विविष्ट स्वास्थ्य पहचानकर्ा ा वनयम, 2021[1]

[23.10.2023 को अद्यतन वकया गया]

जबकि आधार अकधप्रमाणन िा िार्य अच्छे शासन िे कित में िै और र्ि लाभाकथयर्ोों िो सुकिधाजनिऔर सुचारू रूप से प्रत्यक्ष सेिा प्रदान िराने में सिार्ि िै और आधार िा स्वैच्छच्छि प्रर्ोग िेंद्र/राज्य अथिासोंघ राज्य क्षेत्र िी सरिार द्वारा प्रदत्त सेिाओों िे उपर्ोग िेतु र्ि प्रर्ोगिताय िो सुकिधाजनि तरीिे से उसिीपिचान उपलब्ध िराता िै;

और जबकि, स्वास्थ्य और पररिार िल्याण मोंत्रालर् (इसमें इसिे पश्चात मोंत्रालर् िेिा जाएगा) में भारत सरिारइस मोंत्रालर् द्वारा िार्ायच्छित किकभन्न स्वास्थ्य आईटी एप्लीिेशन में लाभाथी िी पिचान और अकधप्रमाणन िेकलए किकशष्ट स्वास्थ्य पिचानिताय (र्ूएचआईडी) िा सृजन िरने िा आशर् रखती िै;

और जबकि, र्ूएचआईडी किकभन्न उपर्ोजन में स्वास्थ्य आोंिडोों िा एिीिरण और मोंत्रालर् द्वारा प्रदत्तकिकभन्न स्वास्थ्य सेिाओों िे डी-डुच्छप्लिेशन िे अकतररक्त सभी नागररिोों िे अनुलोंब इलेक्ट्रॉकनि िेल्थ ररिॉडय(एचईआर) िे सृजन में सिार्ि िै;

और जबकि, र्ूएचआईडी िा सृजन स्वैच्छच्छि िोगा;

और जबकि, आधार िी (कित्तीर् और अन्य सच्छिडी, लाभ और सेिाओों िी लकक्षत प्रदानगी) अकधकनर्म,2016 (2016 िा 18) (इसमें इसिे पश्चात आधार अकधकनर्म, 2016 िेिा जाएगा) धारा 4 िी उप-धारा (4) िेखोंड (ख) िे उप-खोंड (ii) अकधप्रमाणन िे कलए सोंस्था िो अनुज्ञात िरती िै और र्कद प्राकधिारी सोंतुष्ट िै किअकधप्रमाणन सेिाओों िा प्रस्ताि िरने और इस प्रिार िे उद्देश्य िे कलए अकधप्रमाणन प्राप्त िरने िी अनुज्ञच्छप्ति अनुरोध िरने िाली सोंस्था सोंसद द्वारा कनकमयत किसी भी अन्य किकध िे प्राििधानोों िे अधीन िै तो िेंद्र सरिारप्राकधिारी िे परामशय से कनर्मोों िे अधीन अनुज्ञच्छप्त प्रदान िर सिती िै।

अत:, अब, िेंद्र सरिार आधार अकधकनर्म, 2016 िी धारा 53 िे उप-धारा (2) िे खोंड (िि) द्वाराप्रदत्त शच्छक्तर्ोों िा प्रर्ोग िरते हुए, प्राकधिारी िे परामशय से कनम्नकलच्छखत कनर्म बनाती िै, अथायत : –

1.**संविप्त नाम और प्रारंभ**, - (1) इन कनर्मोों िो किकशष्ट स्वास्थ्य पिचानिताय कनर्म, 2021 िै।(2) र्े राजपत्र में इनिे प्रिाशन िी तारीख िो लागू िोोंगे।

2.**उद्देश्य.**– आधार अकधकनर्म, 2016 िी धारा 4 िी उप-धारा (4) िे खोंड (ख) िे उपखोंड (ii) िे साथपकित सुशासन (समाज िल्याण, निप्रितयन, ज्ञान) िे कलए आधार अकधप्रमाणन, कनर्म, 2020 िे अधीन किकभन्नस्वास्थ्य आईडी आिेदनोों में लाभाकथयर्ोों िी पिचान और अकधप्रमाणन िे कलए किकशष्ट स्वास्थ्य पिचानिताय िोस्थाकपत िरने िे कलए आधार अकधप्रमाणन स्वैच्छच्छि िोगा।

[1]Indiaिेराजपत्र, असाधारण, भाग II, खोंड 3, उप-खण्ड (i), सोंख्या 3, कदनाोंि 1.1.2021 में अकधसूचना सोंख्या सा. िा. कन. 3 (अ),कदनाोंि 1.1.2021 द्वारा प्रिाकशत।

3.**आधार प्रमाणीकरण के विए अनुमोविर् संस्थाएं.**– िे सोंस्थाएों, जो स्वास्थ्य आईडी िा सृजन िरनेिे कलए उपर्ोगिताय िे कलए स्वैच्छच्छि आधार अकधप्रमाणन िो किकिल्ोों में से किसी एि िो अनुमकत देने िेइच्छुि िैं और किकभन्न आईटी आिेदनोों िे अधीन स्वास्थ्य सोंबोंधी सूचना साझा िरते िैं, उन्हें ऐसा िरने िीअनुमकत दी जाएगी और इस सोंबोंध में ितयमान कनर्म सभी सोंस्थाओों और सोंव्यििार पर लागू िोगा।

4.**अवधप्रमाणन उपयोगकर्ा ा एजेंसी (एयूए) या केिाईसी उपयोगकर्ा ा एजेंसी (केयूए)**-किकभन्नस्वास्थ्य आईटी आिेदनोों में लाभाकथयर्ोों िी पिचान और अकधप्रमाणन िे कलए सभी स्वास्थ्य आईटी आिेदन िोआधार अकधप्रमाणन सेिाएों प्रदान िरने िे उद्देश्य िे कलए मोंत्रालर् एर्ूए र्ा िेर्ूए िोगा।

5.**स्वास्थ्य सेिाओं का प्रत्याख्यान नहीं.**-चूोंकि र्ूएचआईडी िे सृजन िे कलए आधार अकधप्रमाणन सेिास्वैच्छच्छि िै, पूिोपार् िे आभाि स्वास्थ्य सेिा िे प्रत्याख्यान िी अनुमकत निीों िोगी।

6.**यूएचआईडी के सृजन के विए अनुमोविर् िस्ताििेज.**-मोंत्रालर् र्ूएचआईडी िे सृजन िे कलएअकतररक्त पररलकक्षत दस्ताििेजोों और स्वास्थ्य सेिा किििरण िो कलच्छखत आदेश द्वारा अनुज्ञच्छप्त दे सिेगा।